

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम झूंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

किस्म मुकदमा- पत्थरगढ़ी नं. 86/2021 रात 2021

तारीख हुनम	हुनम या क येवाही मय इगिथिल्ला जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुनम को न्यायालय की तारीख में जारी हुए
24.11.2021	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>डि.डी.प्र. कुमार खत्री</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>करसाना</u> पटवार मण्डल <u>करसाना</u> तहसील झूंगला की आराजी नम्बर <u>1132</u> रकबा <u>0.59287</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खारोदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षी आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अनुरोध किया गया, वहर्स सुनी गई। प्रार्थी जैर वहरा आराजी का खारोदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार झूंगला को <u>2000/-</u> अक्षरों <u>दो</u> हजार रुपये कीरा पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में वंदोवस्ती नक्शे के अनुसार विना किसी के कब्जे काशत में दखल दिये मौजा <u>करसाना</u> पटवार मण्डल <u>करसाना</u> तहसील झूंगला की आराजी नम्बर <u>1132</u> रकबा <u>0.59287</u> हैक्टर/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकममल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>24.11.2021</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फॉरसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p>1132 0.59287 हैक्टर/बीघा 1147 0.59287 हैक्टर/बीघा 1149 0.59287 हैक्टर/बीघा क्रिया-4 छप</p>

उपखण्ड अधिकारी
झूंगला

